

राजस्व न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

Her name
पान 16
माने 24
(स्थायी रूप से रहणीय)

अ. नं. 1 फारम सं. 5851
गैड फारम सं. 508

(बोर्ड के आदेश सं० 4116वीं ता० 12-8-11 में अनुमोदित)

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अभिलेख हस्तक 1911)

.....विभाग

(पहला पन्ना)

केस नं० SR case no 180/वर्ष 98-99 रजिस्टर सं०

इस्टेट सहदेव पान परगना तौजी सं०

अर्जाकार -

प्रतिपक्षी

अधिनियम सं० वर्षके अधीन

निर्णय की तारीख अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्र० सं०	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पों का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
						8

पर की मंजूरी के बारे में

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
18-11-22	<p>अग्नि लेख उपस्थापित / आवेदक अनुपस्थित / अग्नि लेख दिनांक 23-12-22 की रखें /</p> <p>श्रीमि सुव्या २२३ उपसमाधी हुमका /</p>	
23-12-22	<p>अग्नि लेख उपस्थापित / आवेदक अनुपस्थित / अग्नि लेख दिनांक 20-1-23 की रखें /</p> <p>श्रीमि सुव्या २२३ उपसमाधी हुमका /</p>	
20-1-23	<p>अग्नि लेख उपस्थापित / आवेदक अनुपस्थित / अग्नि लेख दिनांक 14-2-23 की रखें /</p> <p>श्रीमि सुव्या २२३ उपसमाधी हुमका /</p>	

आदेश पर
के बारे में लिखें

म
और

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष की वाद में कोई अभिरुची नहीं है। फलस्वरूप वाद की कार्रवाई करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उभयपक्ष की अभिरुची के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


10/1/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।


10/1/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।